कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 307/2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 07.08.2026

थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

फर्जी चिकित्सकीय कार्य एवं लापरवाही से मरीज की मृत्यु के मामले में वांछित नर्सिंग होम संचालक गिरफ्तार

थाना मुबारकपुर पुलिस ने अभियुक्त को हरैया रेलवे अंडरपास के पास से किया गिरफ्तार

दिनांक 15.07.2026 को वादी मुकदमा द्वारा थाना मुबारकपुर पर लिखित तहरीर देकर बताया गया कि उनकी माता श्याम दुलारी को पेट में दर्द (हर्निया) के उपचार हेतु आर्य नन्दिनी नर्सिंग होम, हरैया मोड़, अबाड़ी सठियांव में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि नर्सिंग होम के संचालक गुलाब चन्द चौहान द्वारा परिजनों की जानकारी एवं सहमति के बिना ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान मरीज की मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0- 264/2026, धारा 105 बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 मो0 शमशाद खान द्वारा की जा रही है।

विवेचना के क्रम में दिनांक 06.08.2026 को उ0नि0 मो0 शमशाद खान मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त गुलाब चन्द चौहान को हरैया रेलवे अंडरपास के पास से समय करीब 15:05 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 264/2026 धारा 105 बीएनएस, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- गुलाब चन्द चौहान पुत्र सुन्दर चौहान, निवासी ग्राम भुसुड़ी, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 52 वर्ष। (संचालक, आर्य नन्दिनी नर्सिंग होम)

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 मो0 शमशाद खान, हे0का0 प्रकाश कुमार सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

➡️ साइबर फ्रॉड के दो मामलों में पीड़ितों को कुल ₹30,999.93 की धनराशि कराई गई वापस

➡️ आजमगढ़ पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई से साइबर ठगी की होल्ड धनराशि दोनों पीड़ितों के खातों में कराई गई वापस

साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना निजामाबाद पुलिस द्वारा दो अलग-अलग मामलों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड के शिकार दो पीड़ितों को कुल **₹30,999.93** की धनराशि वापस कराई गई।

प्रथम प्रकरण में दिनांक **12.08.2025** को आवेदिका **नेहा यादव** पुत्री राजेश यादव, निवासी जगदीशपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ द्वारा साइबर क्राइम हेल्पलाइन **1930** पर शिकायत संख्या **33108250093656** दर्ज कराई गई कि उनके मित्र का मोबाइल फोन हैक कर साइबर अपराधियों ने **IMO कॉल** के माध्यम से स्वयं को मित्र बताकर **PhonePe** से उनके **Indian Bank** खाते से **₹25,000/-** की साइबर ठगी कर ली। शिकायत प्राप्त होने के उपरांत **NCRP** पोर्टल के माध्यम से संबंधित धनराशि को तत्काल होल्ड कराया गया तथा न्यायालय के आदेश के उपरांत दिनांक **07.08.2026** को पीड़िता के खाते में पूरी **₹25,000/-** की धनराशि वापस करा दी गई।

द्वितीय प्रकरण में दिनांक **06.07.2026** को आवेदिका **गुड्डी देवी** पत्नी भानू प्रताप यादव, निवासी मस्जिदिया, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ द्वारा साइबर क्राइम हेल्पलाइन **1930** पर शिकायत संख्या **33107260159617** दर्ज कराई गई कि किस्त जमा कराने के नाम पर साइबर अपराधियों ने **PhonePe** के माध्यम से उनके **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया** खाते से **₹5,999.93** की साइबर ठगी कर ली। शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित धनराशि को होल्ड कराया गया तथा आवश्यक समन्वय एवं विधिक कार्रवाई के उपरांत दिनांक **06.08.2026** को **₹5,999.93** की धनराशि आवेदिका के खाते में वापस कराई गई।

दोनों मामलों में धनराशि वापस मिलने पर पीड़ितों ने आजमगढ़ पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया तथा साइबर टीम की कार्यवाही की सराहना की।

कुल वापस कराई गई धनराशि

₹30,999.93 (तीस हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये तिरानवे पैसे)

साइबर टीम

प्रभारी निरीक्षक **राकेश कुमार सिंह** के निर्देशन में थाना निजामाबाद की साइबर टीम के **उ0नि0 दिलीप आनन्द, उ0नि0 मयंक उपाध्याय, का0 राकेश यादव, का0 संदेश सिंह एवं म0आ0 रेनू देवी** द्वारा दोनों शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आवश्यक विधिक प्रक्रिया, सतत पैरवी एवं संबंधित संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर कुल **₹30,999.93** की साइबर फ्रॉड की धनराशि दोनों पीड़ितों के बैंक खातों में सफलतापूर्वक वापस कराई गई। उनके उत्कृष्ट कार्य से पीड़ितों को समयबद्ध राहत मिली तथा दोनों ने आजमगढ़ पुलिस के प्रति अपना आभार व्यक्त किया।

थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़
अवैध असलहा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार
थाना मुबारकपुर पुलिस ने 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर किया बरामद

दिनांक **07.08.2026** को उ0नि0 कुलदीप कुमार (चौकी प्रभारी लोहरा) एवं उ0नि0 प्रदीप बाजपेयी मय हमराह पुलिस बल क्षेत्र में गश्त, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं अपराध रोकथाम के दौरान ग्रीन पैराडाइज ढाबा के पास मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध तमंचा लेकर ग्राम फखरूद्दीनपुर के रास्ते सठियांव की ओर जा रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा फखरूद्दीनपुर जाने वाले मार्ग पर घेराबंदी की गई। मुखबिर के इशारे पर संदिग्ध व्यक्ति को समय **01:15 बजे रात्रि** पकड़ लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम **नसरूद्दीन पुत्र फरीदशाह**, निवासी ग्राम बीबीगंज, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष बताया। नियमानुसार जामा तलाशी लेने पर अभियुक्त के कब्जे से **01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर** तथा **01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर** बरामद हुआ। शस्त्र के संबंध में वैध लाइसेंस अथवा कोई प्रपत्र प्रस्तुत न कर पाने पर अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए गिरफ्तार किया गया। बरामद शस्त्र एवं कारतूस को मौके पर सील कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई। अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को नियमानुसार दी गई तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

1. **मु0अ0सं0- 289/2026** धारा **3/25 आर्म्स एक्ट**, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. **नसरूद्दीन** पुत्र फरीदशाह, निवासी ग्राम बीबीगंज, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी

- 01 अदद अवैध तमंचा **.315 बोर**
- 01 अदद जिन्दा कारतूस **.315 बोर**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 कुलदीप कुमार (चौकी प्रभारी लोहरा)
2. उ0नि0 प्रदीप बाजपेयी, मय हमराह थाना मुबारकपुर आजमगढ़।

थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़
साइबर फ्रॉड के शिकार पीड़ित को ₹2,000 की धनराशि कराई गई वापस
आजमगढ़ पुलिस की त्वरित कार्रवाई से साइबर ठगी की राशि MRM पोर्टल के माध्यम से पीड़ित के खाते में लौटाई गई

आवेदक **प्रद्युम्न सिंह** पुत्र शोभनाथ सिंह, निवासी ग्राम बिन्द्रा बाजार, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ के **यूनियन बैंक** खाते से फर्जी कॉल के माध्यम से **UPI/PhonePe** द्वारा **₹39,500/-** की साइबर ठगी कर ली गई थी। घटना की जानकारी होने पर आवेदक द्वारा साइबर हेल्पलाइन **1930** पर शिकायत संख्या **33102260028174** दर्ज कराई गई।

थानाध्यक्ष **अमित कुमार त्रिपाठी** के निर्देशन में थाना गम्भीरपुर की साइबर टीम द्वारा शिकायत की जांच एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान फ्रॉड की गई धनराशि में से **₹2,000/-** को साइबर अपराधी के खाते में फ्रीज कराया गया। तत्पश्चात नियमानुसार **MRM पोर्टल** के माध्यम से उक्त **₹2,000/-** की धनराशि दिनांक **07.08.2026** को आवेदक के बैंक खाते में वापस कराई गई। धनराशि वापस मिलने पर आवेदक ने आजमगढ़ पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया।

धनराशि वापस

- **₹2,000/- (दो हजार रुपये मात्र)**

साइबर टीम

1. थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी
2. उ0नि0 विपिन कुमार द्विवेदी
3. रि0म0का0 आकांक्षा सिंह

थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़

गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

गो-तस्करी से जुड़े संगठित गिरोह के सदस्य को थाना अहरौला पुलिस ने किया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अहरौला पुलिस को गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी में सफलता प्राप्त हुई।

पूर्व में गैंग लीडर **सहबाज अंसारी उर्फ शहबाज** एवं उसके सहयोगी **मुन्ना उर्फ कटारी** द्वारा आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से गो-तस्करी एवं गोवध से संबंधित अपराधों में संलिप्त एक संगठित आपराधिक गिरोह संचालित किए जाने के संबंध में अनुमोदित गैंगचार्ट के आधार पर थाना अहरौला पर **मु0अ0सं0 270/2026** धारा **2(b)(XVII)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986** पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे की विवेचना उ0नि0 उमाकान्त शुक्ला द्वारा की जा रही है, जिसमें अभियुक्त वांछित चल रहा था।

दिनांक **07.08.2026** को थानाध्यक्ष **मन्तोष सिंह** मय हमराह पुलिस बल क्षेत्र में तलाश वांछित/वारंटी एवं रात्रि गश्त के दौरान फुलवरिया बाजार में मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर बरामदपुर पुलिया के पास घेराबंदी कर वांछित अभियुक्त **मुन्ना उर्फ कटारी** को समय करीब **10:00 बजे** गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग

1. **मु0अ0सं0- 270/2026** धारा **2(b)(XVII)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986**, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. **मुन्ना उर्फ कटारी** पुत्र राजाराम, निवासी मोतीपैर, कस्बा माहुल, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 40 वर्ष।

आपराधिक इतिहास

1. **मु0अ0सं0- 270/2026** धारा 2(b)(XVII)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
2. **मु0अ0सं0- 100/2021** धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।
3. **मु0अ0सं0- 13/2021** धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम, धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम एवं धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।
4. **मु0अ0सं0- 78/2021** धारा 307 भादवि एवं धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।
5. **मु0अ0सं0- 367/2024** धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. मन्तोष सिंह, थानाध्यक्ष, थाना अहरौला
2. रि0का0 दिवाकर मिश्रा
3. रि0का0 अभिषेक तिवारी
4. म0का0 बंदना सिंह